RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MCS/170/2016–18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ३, अंक १(२)] **बुधवार, जानेवारी १८, २०१७/पौष २८, शके १९३८** **[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००**

असाधारण क्रमांक २

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित ९ जनवरी २०१७ ।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. IV OF 2017.

AN ORDINANCE
TO AMEND THE MAHARASHTRA STATE COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES ACT, 2005.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ४ सन् २०१७ ।

महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, २००५ में संशोधन करने संबंधी अध्यादेश ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

सन् २००६ का महा. ३४।

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, २००५, में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ कहलाए ।

(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

सन् २००६ का महा. ३४ की धारा ३ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, २००५ की धारा ३२ की, उप-धारा (२) के, खण्ड (ग) में, " छह सदस्य, प्रत्येक में से एक सदस्य " शब्दों के स्थान में, " आठ सदस्य, प्रत्येक में से कम से कम एक सदस्य " शब्द रखे जायेंगे । सन् २००६ का महा. ३४।

वक्तव्य।

महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, २००५ (सन् २००६ का महा. ३४) राज्य के भीतर सरकार तथा अन्य स्थानीय या अन्य प्राधिकरणों के अधीन की सेवाओं में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से अन्य सामाजिक तथा शैक्षणिक रुप से पिछड़े वर्गों के पक्ष में, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण की सुनिश्चिति के लिये राज्य स्तरिय पिछड़े वर्ग आयोग के गठन का उपबंध करने के लिये अधिनियमित किया गया था। आयोग, पिछड़े वर्गों की सूची में किन्ही अन्य वर्ग का समावेश करने के लिये ग्रहण, जाँच, पड़ताल तथा सिफारिशों का विचार करेगा और उसमें किसी वर्ग के अत्याधिक समावेश तथा कम समावेश विषयक शिकायतों की भी जाँच करेगा।

उक्त अधिनियम की धारा ३, की उप-धारा (२) के उपबंधों के अनुसार, उक्त आयोग में एक अध्यक्ष, जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधिश है या था अनुभवसिद्ध अनुसंधान के अनुभव से एक सामाजिक वैज्ञानिक, और छह सदस्यों, राज्य के छह राजस्व विभागों में से प्रत्येक एक सदस्य, जिसे अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान है, से मिलकर बनेगा।

२. पिछड़े वर्गों में उनके वर्गों का समावेश करने के लिये नागरिकों के कई वर्ग सरकार को निवेदन कर रहे है साथ ही लोगों के प्रतिनिधियों ने पिछड़े वर्गों में नागरिकों के कतिपय समूहों के समावेश के लिये उनके प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किये है। आयोग को अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये सुकर बनाने के उद्देश्य से, सरकार धारा ३(२) (ग) में विनिर्दिष्ट उक्त आयोग के सदस्यों की संख्या छह से बढाकर आठ करना, इष्टकर समझती है।

३. राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके इन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, २००५ (सन् २००६ का महा. ३४) में संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता हैं ।

मुंबई,
दिनांकित ९ जनवरी २०१७।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

डॉ. सुरेंद्रकुमार बागडे,
सरकार के सचिव।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.